

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2015

क्रमांक: एफ 6-1/2015/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 38-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :-  
"38-ग संतान पालन अवकाश-

(1) इस नियम के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(2) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, संतान से अभिप्रेत है,-

- (क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या
- (ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंगलय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में तथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली कांश वर्ष से कम आयु की संतान ।

- (4) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगी, अर्थात्:-


- (क) यह एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपभोग किए गए अवकाश भी एक बार के रूप में गिना जाएगा । यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की कालावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रहती है तब जारी की गजना ऐसे निवृत्तवर्ती कैलेंडर

वर्ष में की जाएगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किए गए अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेंडर वर्ष से अभिप्रेत है। जनवरी में प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि;  
(ख) यह सामान्य रूप से परीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस कालावधि के बराबर अर्द्ध तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।

- (5) संतान देखभाल अवकाश की कालावधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को, अवकाश वाले मास के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- (6) संतान देखभाल अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- (7) इस अवकाश का खाला पृथक से संचालित किया जाएगा तथा संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जाएगी।

2. यह संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकुर्जी)  
राजिव


मध्य प्रदेश शासन, दित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2015

क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार  
प्रतिलिपि-

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, भोपाल
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
10. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
11. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल
12. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
13. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
14. सर्वोच्च राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
16. महर्षिधवता/उप महर्षिधवता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर :
17. महालिखाकार (लेखा और हकदारी)/(ऑडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
18. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
19. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
20. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. आयुक्त, जनसंपर्क संचालन, मध्यप्रदेश भोपाल
22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अभिलेख शाखा/आभरण शाखा/सूचना प्रौद्योगिकी शाखा) भोपाल
23. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल
24. सगला संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
25. राप्ती प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
26. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
27. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
28. अध्यक्ष, शासन के सचरत मान्यता प्राप्त कर्मचारी सङ्घन / संघ
29. मंत्री कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
30. संचालक, पेरन भंडार्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान पञ्च, भोपाल
31. समस्त संभागीय/जिला पेशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
32. गाइड फाईल

की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अर्पित ।



(अजय चौधरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh  
Finance Department  
Mantralaya, Bhopal

NOTIFICATION

Bhopal, dated 22 August, 2015.

No. F-6-1/2015/Rule/IV. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

After rule 38(b), the following rule shall be added, namely:-  
"38(C) Child Care Leave:-

- (1) Subject to the provisions of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by the competent authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.
- (2) The leave cannot be claimed as a matter of right.
- (3) For the purposes of sub-rule (1), "child" means:-
  - (a) a child below the age of eighteen years (including legally adopted child); or
  - (b) a child below the age of twenty two years with a minimum disability of forty percent as specified in Notification No. 16-18/97-N 1.1, dated the 1st June, 2001, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.
- (4) Grant of child care leave to a woman government servant under sub-rule(1) shall be subject to the following conditions, namely :-
  - (a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. The leave availed even for a day, shall be counted as one spell. If the period of leave sanctioned continues into the next calendar year also then the spell shall be counted adjacent the year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calendar year means the period commencing from 1st January to 31st December of the year.
  - (b) it shall ordinarily not be sanctioned during the probation period. However, in special circumstances, if the leave is sanctioned during the

probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted


During the period of child care leave, the woman government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(6) Child care leave may be combined with leave of any other kind.

(7) The leave account shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women government servant.

8. This amendment shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of  
Governor of Madhya Pradesh

  
(Anand Mohan)  
Secretary.

To Government of Madhya Pradesh  
Finance Department

{



मध्यप्रदेश शासन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

(Department of Planning Economics &amp; Statistics)

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

जन्म प्रमाण-पत्र

BIRTH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा मध्यप्रदेश जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1999 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Birth and Death Act, 1969 and Rule 8/13 of the Madhya Pradesh Registration of Births and Death Rules, 1999)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) नगर निगम, भोपाल तहसील हजुर जिला भोपाल राज्य मध्यप्रदेश (भारत) के रजिस्टर में उल्लेखित है।

This is to certify that following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area / local body) Municipal Corporation, Bhopal of tahsil Huzur of District Bhopal of State Madhya Pradesh (INDIA).

नाम / Name - आर्यन सोनकर / Aaryan Sonkar

लिंग / Sex - पुरुष / Male. जन्म तिथि / Date of Birth - 12.09.2010 जन्म स्थान / Place of Birth - भोपाल / Bhopal.

माता का नाम / Name of Mother - रींकू सोनकर / Rinku Sonkar.

पिता का नाम / Name of Father - सन्दीप कुमार सोनकर / Sandeep Kumar Sonkar.

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता /  
Address of parents at the time of birth of the child -  
111 ए प्रगति नगर बरखेडा पठानी,  
भोपाल, म.प्र./  
111 A Pragati Nagar Barkhedha Pathani,  
Bhopal, M.P.

माता पिता का स्थायी पता /  
Permanent address of parents -  
111 ए प्रगति नगर बरखेडा पठानी,  
भोपाल, म.प्र./  
111 A Pragati Nagar Barkhedha Pathani,  
Bhopal, M.P.

पंजीकरण संख्या / Registration No. 031613007004

पंजीकरण दिनांक / Date of Registration - 22.02.2013

टिप्पणी / Remark (if any) - आदेश क्र. 2563/21.2.2013 / Order No: 2563/21.2.2013.  
घर में / Home.

जारी करने की तिथि / Date of Issue - 22.02.2013

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मोहर / Seal

Municipal Corporation Bhopal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।"

22/2/13



प्रारूप क्रमांक-5  
(नियम-8 देखिये)

**मध्यप्रदेश शासन**  
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)  
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

**जन्म प्रमाण-पत्र**  
(धारा 12/17 के अधीन जारी किया गया)

**आदेश पत्र**

**जन्म सूचना क्र० : 213454**

**अनु क्र : 10283/2009(1)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जानकारी मूल जन्म अभिलेख से जो  
(रजिस्ट्रीकरण इकाई का नाम) (स्थानीय क्षेत्र)


**नगर निगम**

तहसील	<b>हजूर</b>	जिला	<b>भोपाल</b>
राज्य	<b>मध्य</b>	के रजिस्टर से ली गयी है :	
नाम	<b>आदित्य सोनकर</b>	लिंग	<b>पुरुष</b>
जन्म दिनांक	<b>13-01-2006</b>	जन्म स्थान	<b>भोपाल</b>
पिता का नाम	<b>संदीप कुमार सोनकर</b>		
माता का नाम	<b>रिंकू सोनकर</b>		
रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	<b>10283</b>	रजिस्ट्रीकरण दिनांक	<b>20-04-2009</b>

**आदेश : 1530/17-04-2009**



आवक क्र



दिनांक :

**रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)**

**रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु)**

**नगर पालिक निगम भोपाल**